



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042023-245305
CG-DL-E-21042023-245305

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1720]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945

No. 1720]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 1802(अ).— मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए, दो अधिक आयामी खेपों का रामजी का गोल, राजस्थान से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पंचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स एनटीसी लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में दो अधिक आयामी खेपों के परिवहन के लिए, मेसर्स एल एंड टी एनर्जी हाइड्रोकार्बन लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1.	एमएच46एच3330	वोल्वो 49. 400 एफएम
2.	केए01एजे 2970	वोल्वो 49. 520 एफएच
3.	केए01एजे1191	वोल्वो 49. 400 एफएम

4.	एनएल02के5341	वोल्वो 49. 520 एफएच
5.	केए01एजे 2956	वोल्वो 49. 520 एफएच
6.	केए01एजे 2962	वोल्वो 49. 400 एफएम
7.	एनएल02के5342	वोल्वो 49. 520 एफएच
8.	केए01एजे1831	वोल्वो 49. 400 एफएम
9.	केए01एजे5094	वोल्वो 49. 520 एफएच
10.	एनएल02 के6803	वोल्वो 49. 520 एफएच
11.	केए01डी1698	वोल्वो 49. 400 एफएम
12.	केए01एम6027	वोल्वो एफएम 400
13.	केए01एजे1194	वोल्वो एफएम 400
14.	केए01एजे2963	वोल्वो 49. 400 एफएम
15.	केए01एजे2961	वोल्वो 49. 400 एफएम
16.	केए01एजे2957	वोल्वो 49. 400 एफएम
17.	एनएल02के5693	वोल्वो 49. 520 एफएच

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रैलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:-

क्रम सं.	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	एचआर55पी9951	गोल्ड होफर एक्सल	6	120
2.	जीजे06बीटी6937	टाइगर एक्सल	4	72
3.	एचआर55आर1361	गोल्ड होफर एक्सल	8	160
4.	एचआर55पी9947	गोल्ड होफर एक्सल	8	120
5.	एचआर38एए2775	टाइगर एक्सल	6	108
6.	एचआर38एए1238	टाइगर एक्सल	6	108
7.	एचआर38एए9580	टाइगर एक्सल	4	72
8.	एचआर38एए9757	टाइगर एक्सल	4	72
9.	एचआर55आर1363	गोल्ड होफर एक्सल	6	120
10.	एचआर38जेड4173	टाइगर एक्सल	4	72
11.	एचआर38जेड9481	टाइगर एक्सल	4	72
12.	एचआर55पी8005	गोल्ड होफर एक्सल	8	360
13.	एमएच46एच3382	गोल्ड होफर एक्सल	6	156
14.	एमएच46एच3383	गोल्ड होफर एक्सल	6	156
15.	एचआर38एए6828	टाइगर एक्सल	6	108
16.	जीजे06बीटी8011	टाइगर एक्सल	6	108
17.	एमएच46एच3373	टाइगर एक्सल	4	104
18.	एचआर38एए9757	टाइगर एक्सल	4	72
19.	एचआर55पी7275	गोडहोफर एक्सल	4	180

क्रम सं.	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
20.	एचआर38एए9580	टाइगर एक्सल	4	72
21.	एचआर38जेड5968	टाइगर एक्सल	4	72
22.	एमएच46एच3374	गोल्ड होफर एक्सल	4	104
23.	एचआर38एए4295	टाइगर एक्सल	2	36
24.	जीजे06बीटी6930	टाइगर एक्सल	4	72
25.	एचआर38एए3265	टाइगर एक्सल	6	108
26.	एचआर38जेड3990	टाइगर एक्सल	6	108
27.	जीजे06बीटी8098	टाइगर एक्सल	4	72
28.	एचआर55पी7278	गोल्ड होफर एक्सल	8	360
29.	एचआर55पी8001	गोल्ड होफर एक्सल	4	180
30.	एचआर38जेड5968	टाइगर एक्सल	4	72
31.	एचआर38एए6310	टाइगर एक्सल	6	108
32.	एमएच46एच3385	गोल्ड होफर एक्सल	6	156
33.	एमएच46एच4660	गोल्ड होफर एक्सल	6	156
34.	एमएच46एच3381	गोल्ड होफर एक्सल	4	104
35.	जीजे06बीटी6992	टाइगर एक्सल	6	108
36.	एमएच46एच3374	टाइगर एक्सल	4	104
37.	एमएच46एच3381	गोल्ड होफर एक्सल	4	104
38.	एचआर38जेड9481	टाइगर एक्सल	4	72
39.	एचआर55पी8003	गोल्ड होफर एक्सल	6	270
40.	एचआर38जेड6610	टाइगर एक्सल	6	108
41.	एमएच46एच4659	गोल्ड होफर एक्सल	5	130
42.	एमएच46एच4658	गोल्ड होफर एक्सल	4	104
43.	एमएच46एच4655	गोल्ड होफर एक्सल	3	78
44.	एमएच46एच4656	गोल्ड होफर एक्सल	3	78
45.	एमएच46एच3371	गोल्ड होफर एक्सल	3	78
46.	एमएच46एच3372	गोल्ड होफर एक्सल	3	78
47.	एचआर55पी8002	गोल्ड होफर एक्सल	6	270

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

क्रम सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)			लंबाई और चौड़ाई में धुरी के युग्मन का विवरण
						लं (मी)	चौ. (मी)	ऊँ. (मी)	
1	126-सी-2221 (सेक्शन-2)	64.1	190	254.1	14.94	39.6	6.0	6.6	17 धुरी पंक्तियां (9 एक्सल + स्पेसर + 8 एक्सल) को

क्रम सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
						लं (मी)	चौ. (मी)	ऊँ. (मी)	
									सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (8 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
2	126-सी-2222 (सेक्शन-2)	70.7	210	280.7	14.77	43.24	5.9	6.4	19 धुरी पंक्तियां (9 एक्सल + स्पेसर + 10 एक्सल) को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (8 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

- (i) उपरोक्त अधिक आयामी खेपों का परिवहन, विशिष्ट मार्ग रामजी का गोल, राजस्थान से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा-
- रामजी का गोल - गुडामलानी - बालोतरा - एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान सड़क मार्ग से। (135 किमी)
- (ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
- (iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स एनटीसी लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।
- (v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / पुलों / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रैलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रैलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

- (x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रैलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और नागालैंड में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[सं. आरटी-11042/04/2020-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 1802(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of six months from the date of issue of this notification for transportation of two over dimensional consignments from Ramji Ka Gol, Rajasthan to HPCL Rajasthan Refinery Ltd, Pachpadra, Barmer, Rajasthan by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s NTC Logistics India Private Limited is the transporter of M/s L & T Energy Hydrocarbon Limited for transportation of two dimensional consignments for the aforesaid movement.
2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	MH46H3330	VOLVO 49. 400 FM
2.	KA01AJ2970	VOLVO 49. 520 FH
3.	KA01AJ1191	VOLVO 49. 400 FM
4.	NL02K5341	VOLVO 49. 520 FH
5.	KA01AJ2956	VOLVO 49. 520 FH
6.	KA01AJ2962	VOLVO 49. 400 FM
7.	NL02K5342	VOLVO 49. 520 FH
8.	KA01AJ1831	VOLVO 49. 400 FM
9.	KA01AJ5094	VOLVO 49. 520 FH
10.	NL02K6803	VOLVO 49. 520 FH
11.	KA01D1698	VOLVO 49. 400 FM
12.	KA01AM6027	VOLVO FM 400
13.	KA01AJ1194	VOLVO FM 400
14.	KA01AJ2963	VOLVO 49. 400 FM

15.	KA01AJ2961	VOLVO 49. 400 FM
16.	KA01AJ2957	VOLVO 49. 400 FM
17.	NL02K5693	VOLVO 49. 520 FH

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR55P9951	Gold hofer Axle	6	120
2.	GJ06BT6937	Tiger Axle	4	72
3.	HR55R1361	Gold hofer Axle	8	160
4.	HR55P9947	Gold hofer Axle	8	120
5.	HR38AA2775	Tiger Axle	6	108
6.	HR38AA1238	Tiger Axle	6	108
7.	HR38AA9580	Tiger Axle	4	72
8.	HR38AA9757	Tiger Axle	4	72
9.	HR55R1363	Gold hofer Axle	6	120
10.	HR38Z4173	Tiger Axle	4	72
11.	HR38Z9481	Tiger Axle	4	72
12.	HR55P8005	Gold hofer Axle	8	360
13.	MH46H3382	Gold hofer Axle	6	156
14.	MH46H3383	Gold hofer Axle	6	156
15.	HR38AA6828	Tiger Axle	6	108
16.	GJ06BT8011	Tiger Axle	6	108
17.	MH46H3373	Tiger Axle	4	104
18.	HR38AA9757	Tiger Axle	4	72
19.	HR55P7275	Godhofer Axle	4	180
20.	HR38AA9580	Tiger Axle	4	72
21.	HR38Z5968	Tiger Axle	4	72
22.	MH46H3374	Gold hofer Axle	4	104
23.	HR38AA4295	Tiger Axle	2	36
24.	GJ06BT6930	Tiger Axle	4	72
25.	HR38AA3265	Tiger Axle	6	108
26.	HR38Z3990	Tiger Axle	6	108
27.	GJ06BT8098	Tiger Axle	4	72
28.	HR55P7278	Gold hofer Axle	8	360
29.	HR55P8001	Gold hofer Axle	4	180
30.	HR38Z5968	Tiger Axle	4	72
31.	HR38AA6310	Tiger Axle	6	108
32.	MH46H3385	Gold hofer Axle	6	156
33.	MH46H4660	Gold hofer Axle	6	156
34.	MH46H3381	Gold hofer Axle	4	104
35.	GJ06BT6992	Tiger Axle	6	108
36.	MH46H3374	Tiger Axle	4	104
37.	MH46H3381	Gold hofer Axle	4	104
38.	HR38Z9481	Tiger Axle	4	72
39.	HR55P8003	Gold hofer Axle	6	270
40.	HR38Z6610	Tiger Axle	6	108
41.	MH46H4659	Gold hofer Axle	5	130
42.	MH46H4658	Gold hofer Axle	4	104
43.	MH46H4655	Gold hofer Axle	3	78
44.	MH46H4656	Gold hofer Axle	3	78
45.	MH46H3371	Gold hofer Axle	3	78
46.	MH46H3372	Gold hofer Axle	3	78
47.	HR55P8002	Gold hofer Axle	6	270

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
						L (m)	W (m)	H (m)	
1	126-C-2221 (SECTION-2)	64.1	190	254.1	14.94	39.6	6.0	6.6	17 Axle rows (9 axle + spacer + 8 axles) will be coupled in straight line (8 tyres per row line of axles)
2	126-C-2222 (SECTION-2)	70.7	210	280.7	14.77	43.24	5.9	6.4	19 Axle rows (9 axle + spacer +10 axles) will be coupled in straight line (8 tyres per row line of axles)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- The specific route for transportation of the these over dimensional consignments will be from Ramji Ka Gol, Rajasthan to HPCL Rajasthan Refinery Ltd, Pachpadra, Barmer, Rajasthan by road through-
- Ramji ka Gol – Gudamalani - Balotra - to HPCL Rajasthan Refinery Ltd, Pachpadra, Barmer, Rajasthan by Road. (135 Km)
- Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s NTC Logistics India Private Limited.
- The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Haryana, Gujarat, Karnataka, Maharashtra and Nagaland.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[No. RT-11042/04/2020-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.